अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

अविप्रा

टोडरमल मार्ग. अजमेर – राजस्थान

Website: urban.rajasthan.gov.in/ada
Tel.No:0145-2627748,2627749,2620740

Email: ajmerada@gmail.com
Fax no: 0145-2620126

क्रमांकः अविप्रा / 2019–20 / SP-01

दिनांकः 27/07/19

विज्ञप्ति

ऐसे आवंटी, जिनके पास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओ में EWS एवं LIG के भूखण्डं आवंटित है तथा वर्तमान में भूखण्ड रिक्त है उन सभी आवंटियों को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत "व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण(बीएलसी)" में नवीन लाभार्थी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.07.2019 से 02.08.2019 तक प्राधिकरण कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से सायः काल 6:00 बजे तक केम्प का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं	योजना का नाम	दिनांक
1.	हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार, महाराणा प्रताप नगर, कोटड़ा, बी.के. कोल, हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य।	29.07.2019
2.	पंचशील नगर, पंचशील नगर ई ब्लॉक, पृथ्वीराज नगर।	30.07.2019
3.	दीनदयाल पुरम।	31.07.2019
4.	विजयाराजे सिन्धिया नगर, गणेश गुवाड़ी।	01.08.2019
5.	अर्जुनलाल सेठी नगर, चन्द्रवरदाई नगर, जे.पी नगर।	02.08.2019

अनुदान प्राप्ति हेतु लाभार्थी की पात्रता शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. आवेदक की वार्षिक आय राशि रू. 3 लाख रूपये तक होनी चाहिये।
2. आवेदक का सम्पूर्ण भारत में कहीं पर भी पक्का आवास ना हो।
3. भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त ना किया हो।
4. आवेदन के स्वयं के नाम भूखण्ड / पट्टे के दस्तावेज होने चाहिये।
5. यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है (विवाहित अथवा अविवाहित) तथा स्वयं के नाम भूखण्ड नही हो तो व माता पिता या सास ससुर के नाम भूखण्ड पर निर्माण के लिये आवेदन कर सकता है। इस हेतु माता पिता या सास ससुर का अनापत्ति शपथ पत्र अनिवार्य है।
6. आवेदक विवाहित है तो स्वयं का आधारकार्ड व पति / पत्नि का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि अविवाहित / विधवा है तो परिवार के किसी भी एक सदस्य का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
7. नवीन आवास निर्माण की स्थिति में 30 वर्गमीटर कारपेट ऐरिया का आवास निर्माण आवश्यक है, जिसमें 02 कमरे, 01 किचन, शौचालय एवं स्नानघर का समावेश अनिवार्य है।
8. यदि 30 वर्गमीटर कारपेट एरिया निर्माण हेतु भूमि का क्षेत्रफल कम है तो आवेदक 02 मंजिला आवास निर्माण के लिये आवेदन कर सकता है, जिसमें प्रथम व उपरी तक का कुल कारपेट एरिया 30 वर्गमीटर तक हो सके।
9. यदि आवेदक पूर्व में निर्मित पक्के आवास में अभिवृद्धि करना चाहता है तो पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कारपेट ऐरिया 21 वर्गमीटर से ज्यादा नही होना चाहिये तथा अभिवृद्धि में कम से कम 01 कमरे का निर्माण होना आवश्यक है।

अतः उक्त केम्प में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ उठावें।

निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाएँः–

1. भूखण्ड स्वामित्व का पट्टा / दस्तावेज।
2. परिवार का आधार कार्ड।